देवलाली छावनी परिषद की छावनी परिषद कार्यालय, देवलाली में दिनांक 22 फ़रवरी 2019 को सुबह 11:00 बजे सम्पन्न हुई साधारण बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

01	ब्रिगे. पी. रमेश, वि.से.प.	-	अध्यक्ष
02	श्रीमती प्रभावती भिमराव धिवरे	-	उपाध्यक्ष
03	श्री अजय कुमार, मु.का.अ.	-	सदस्य सचिव
04	कर्नल कमलेश चौहान	-	नामित सदस्य
05	लेफ्ट. कर्नल अजय कुमार	-	गैरिसन इंजीनियर
06	श्री सचिन सुरेश ठाकरे	-	निर्वाचित सदस्य
07	श्री भगवान टिकमदास कटारिया	-	निर्वाचित सदस्य
08	श्रीमती आशा चंद्रकांत गोडसे	-	निर्वाचित सदस्य
09	श्री दिनकर वामन आढ़ाव	-	निर्वाचित सदस्य
10	श्रीमती कावेरी रतन कासार	-	निर्वाचित सदस्य
11	श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड	-	निर्वाचित सदस्य

उपस्थित नहीं:-

01	ब्रिगे. ए. के. श्रीवास्तव	-	स्वास्थ्य अधिकारी
02	कर्नल राहुल मिश्रा	-	नामित सदस्य
03	श्री रामदास खेडकर	-	जिला दंडाधिकारी का नामिती
04	विंग कमांडर जसमीत सिंह	-	नामित सदस्य
05	श्रीमती मीना तानाजी करंजकर	-	निर्वाचित सदस्य

बैठक शुरू होने से पहले, सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया | श्रीमती मीना तानाजी करंजकर- उप-उपाध्यक्ष, एवं वर्तमान सदस्य, छावनी परिषद देवलाली के ससुर स्वर्गीय श्री पांडुरंग शिवराम करंजकर जिनका निधन दिनांक 21 फ़रवरी 2019 को हुआ था, को भी परिषद ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की |

01 समीक्षा

दिनांक 04.01.2019 को सम्पन्न हुई परिषद की पिछली बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार करना और नोट करना ।

01 **संकल्प:** मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 04.01.2019 को सम्पन्न हुई परिषद की पिछली बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन सम्बंधित जानकारी परिषद को दी |

श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड- निर्वाचित सदस्य ने शिगवे बहुला में पुनर्वासित भूमि के निवासियों के पैतृक संपत्तियों मरम्मत करने हेतु अनुमति प्रदान करने का मुद्दा उठाया और इस सम्बन्ध में छावनी परिषद कार्यालय से उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया |

इस मुद्दे पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के नए निर्माण हेतु छावनी परिषद की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है | तथापि, इस सम्बन्ध में उन्होंने पहले ही जिलाधिकारी, नाशिक से भेंट की थी और जिलाधिकारी, नाशिक ने सलाह दी कि जमीन मालिक को सर्वे की लागत का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए और इस प्रभाव में छावनी परिषद देवलाली द्वारा एक प्रस्ताव प्रेषित किया जाना चाहिए | मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आगे यह सूचित किया कि अनाधिकृत निर्माण हेतु चारणवाडी में निवासियों को परिषद द्वारा सूचनाएँ जारी की गई है |

श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड- निर्वाचित सदस्य ने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी चैम्बर का निर्माण सड़क पर किया गया है जिसका निर्माण संपत्ति परिसर में ही किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की क्षति न हो, जैसे की यह देखा गया है कि शिगवे क्षेत्र में कुछ प्रॉपर्टी चैम्बर के कारण नुकसान हुआ है | परिषद के सहायक अभियंता (आर एवं बी) को चैम्बर्स की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए, जो स्तर (लेवल) तक नहीं है |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने मुद्दा उठाया कि परिषद द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे भूमिगत सिवरेज योजना का प्रस्तुतीकरण पहले किया जा चूका है, जिसमे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई थी एवं अंतिम रूप दिया गया था और उक्त की कार्यवृत्त सभी निर्वाचित सदस्य को दी गई थी | उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता की घोषणा होने से पहले इस मुद्दे पर एक और बैठक आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि वो संपत्ति चैम्बर्स मुद्दे जिसमे बहुत से चैम्बर्स सड़क के हिस्से साथ लेवल नहीं है जिससे असुविधाएं होती है और उचित प्रवाह / गहराई / चैम्बर्स के प्लास्टर आदि सम्बंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहते है | आगे, वार्ड संख्या VI और VIII का सर्वेक्षण कार्य तय किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफी बचत होगी | संसदीय चुनाव हेतु आचार संहिता की घोषणा होने से पहले कथित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक विशेष बैठक की जाए |

श्री दिनकर वामन आढ़ाव- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि महालक्ष्मी मदिर रोड पर मांडे लॉन्स के सामने निर्मित किया गया प्रॉपर्टी चैम्बर उचित दिशा में नहीं है |

एमएसईडीसीएल अधिकारियों से रॉयल्टी वसूलने के मुद्दे पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया कि राज्य सरकार का सम्बन्धित शासन निर्णय प्रधान निदेशालय, रक्षा संपदा, दक्षिण कमान, पुणे को उनके अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि यदि हम भूमि के ऊपर वाली तारों हेतु प्रभार नहीं लगा रहे है तो भूमिगत केबल हेतु रॉयल्टी प्रभार क्यों किया जाए ?

श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि डेरी फार्म रोड के बीच में एक विद्युतीय स्तम्भ है जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है और सुरक्षा उपाय के रूप में पीले रंग की रेडियम पट्टी स्तम्भ पर लगाया जाए और जो विद्युतीय स्तम्भ बाजार क्षेत्र में है उसे भूमिगत किया जाना चाहिए, जिसपर श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि उक्त हेतु प्रस्ताव छावनी परिषद द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि पुराने मनोरंजन हॉल की भूमि का उपयोग कर स्थान प्रदान किया जाए, जिसे हाल ही में कार्यालय के कर्मचारियों के लिए दोपहर के भोजन के समय भोजन की सुविधा हेतु गिराया गया था, जिसपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के प्रयोजन हेतु अस्थायी प्रबंध की जाएगी |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने सह्याद्री नगर से आवागमन मार्ग का मुद्दा उठाया, जिसपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि रक्षा संपदा अधिकारी, मुंबई, स्टेशन मुख्यालय के कार्मिकों एवं भूमि रिकॉर्ड के उप-निरीक्षक के साथ परमर्श करने के पश्चात सर्वे की तारीख तय करने की जरूरत है, क्योंकि विषयांकित क्षेत्र सिविल क्षेत्र के बाहर का है |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि प्रमुख सड़कों अर्थात वडनेर रोड, हौसन रोड, आदि पर ट्रैफिक रिकॉर्डिंग का कार्य शनिवार और रविवार को किया जाना चाहिए |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आश्वासन दिया कि ट्रैफिक की भीड़ / पार्किंग का वीडियो रिकॉर्डिंग का कार्य शनिवार और रविवार को पूरा किया जाएगा |

श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि लाव्हिट बाज़ार के बाहर रेढ़ी / हाथगाड़ी लागने के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए क्योंकि यह भारी ट्रैफिक का खतरा उत्पन्न करती है |

श्री भगवान टिकमदास कटारिया- निर्वाचित सदस्य ने मवेशी उपद्रव का मुद्दा परिषद के समक्ष उठाया और ग्रीनवुड्स सोसाइटी के पत्र पर तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया कि ट्रेन्चिंग ग्राउंड के सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है और तत्पश्चात पशुशाला का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने जल प्रभार बकाया का एक बार निपटान का मामला उठाया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद, देवलाली से इस मामले पर ध्यान देने एवं ऐसे मामले को 31 मार्च 2019 अर्थात इस उद्देश्य हेतु तय की गई समय सीमा के अन्दर निपटाने हेतु अनुभागीय अभियंता (जलापूर्ति) को निर्देश देने का अनुरोध किया |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने आगे हौसन रोड पर 'सिया स्टोर' के अनाधिकृत निर्माण के मुद्दे को उठाया क्योंकि उस समय निर्वाचित सदस्य के ऊपर इस मुद्दे पर आरोप लगाए गए थे और वह यह चाहते हैं कि उक्त का विवरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिसके हेतु वह समय समय पर मांग कर रहे थे |

इस मुद्दे पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया कि इसकी जाँच की जाएगी कि क्या सम्बन्धित पक्ष की तरफ से को संरचनात्मक नक्शा प्राप्त हुआ है या नहीं और मामले को आगामी परिषद की बैठक में शामिल किया जाएगा |

02 **सिविल क्षेत्र समिति**

दिनांक 15.02.2019 को सम्पन्न हुई सिविल क्षेत्र समिति के कार्यवृत्त पर विचार करना और अनुमोदन देना।

कार्यवृत्त संलग्न हैं।

02 **संकल्प: विचार किया गया और अनुमोदन दिया गया |**

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने अनुरोध किया कि पुराने अनुदान मामलों में भी तेजी लाए जाए | उन्होंने यह भी कहा कि सम्पूर्ण सिविल क्षेत्र का सर्वे किया जाना था जिसे अभी तक पूर्ण नहीं किया गया और मामले पर ध्यान दिया जाए |

03 **वित्त समिति**

दिनांक 15.02.2019 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त पर विचार करना और अनुमोदन देना।

कार्यवृत्त संलग्न हैं।

03 **संकल्प:** विचार किया गया और निम्नलिखित के साथ अनुमोदन दी गई:-

मद संख्या 03 अर्थात वर्ष 2018-19 के दौरान देवलाली छावनी में 3018 स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स के वार्षिक रख-रखाव (फिर से दूसरा आमंत्रण) के सम्बन्ध में, जिसका निर्णय समिति के द्वारा लिया गया था, दोनों पक्षों को बातचीत करने और उद्धृत किये गए दर अर्थात रु. 1.71 प्रतिदिन प्रति स्ट्रीट लाइट पॉइंट से कम दर जमा करने हेतु पत्र लिखा गया था | इसके जवाब में, मेसर्स नवनाथ इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्लास्टिक्स, नाशिक रोड ने अपनी दर घटाकर रु. 1.70 प्रतिदिन प्रति स्ट्रीट लाइट पॉइंट कर दिया जबकि दूसरा पक्ष अपने उद्धृत किए हुए दर को कम करने हेतु सहमत नहीं हुआ | इसलिए, परिषद ने मेसर्स नवनाथ इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्लास्टिक्स, नाशिक रोड द्वारा उद्धृत किए गए दर रु. 1.70 प्रतिदिन प्रति स्ट्रीट लाइट पॉइंट को स्वीकृत करने का निर्णय लिया |

श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार विद्युतीय स्तम्भ उपलब्ध कराए जाए और वार्ड संख्या VIII के लिए अतिरिक्त विद्युतीय स्तम्भ प्रदान करने के लिए भी कहा |

04 **स्वास्थ्य समिति**

दिनांक 15.02.2019 को सम्पन्न हुई स्वास्थ्य समिति के कार्यवृत्त पर विचार करना और अनुमोदन देना।

कार्यवृत्त संलग्न हैं।

04 **संकल्प:** विचार किया गया और अनुमोदन दिया गया |

05 **भवन समिति**

दिनांक 15.02.2019 को सम्पन्न हुई भवन समिति के कार्यवृत्त पर विचार करना और अनुमोदन देना।

कार्यवृत्त संलग्न हैं।

05 **संकल्प:** विचार किया गया और अनुमोदन दिया गया |

भवन समिति संकल्प संख्या 03 के सम्बन्ध में, यह निर्णय लिया गया कि जबतक बुनियादी ढांचा अर्थात स्ट्रीट लाइट, जल पाइपलाइन, कंपाउंड वॉल, मलकुंड (सेप्टिक टैंक) और शोष-गर्त (सोक-पिट) का निर्माण नहीं हो जाता तब तक आंशिक पूर्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा | आगे, 70% से ऊपर पूर्ति प्रमाणपत्र अंतरिम सड़क आधारभूत संरचना निर्माण के अधीन होगा |

भवन समिति संकल्प संख्या 04 के सम्बन्ध में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि चर्चा के दौरान, अध्यक्ष, छावनी परिषद, देवलाली ने कहा कि यह मद सम्बंधित समिति की कार्यसूची में पहले नहीं था और भवन समिति के कार्यवृत्त में इसे लिया गया और सम्बंधित भूमि आर्मी भूमि से संलग्न होने के कारण अध्यक्ष, छावनी परिषद, देवलाली सम्बंधित भूमि को देखना चाहेंगे, जिसपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया कि उक्त मद को समिति द्वारा पूरक मद के रूप में विचार किया गया था इसलिए इसे भवन समिति के कार्यवृत्त में इसे सम्मिलित किया गया |

निर्वाचित सदस्य और भवन समिति के अध्यक्ष श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड ने कहा कि आर्मी भूमि से संलग्न बहुत सी योजना पहले भी परिषद द्वारा पारित की गई है |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि स्टेशन मुख्यालय, देवलाली के प्रतिनिधि और रक्षा संपदा अधिकारी, कोलाबा के उपस्थिति में टी.आई.एल.आर, नाशिक के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण करने के बाद उक्त मद को प्रस्तुत किया गया है और संसदीय चुनाव के संभावित आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इस मद को पूरक के रूप में जोड़ा गया | अध्यक्ष, छावनी परिषद, देवलाली ने अपने सत्यापन के लिए इस मुद्दे को लंबित रखा |

विचार विमर्श के बाद, अध्यक्ष, छावनी परिषद, देवलाली ने कहा कि उक्त को पारित किया जाए| भवन समिति के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया |

06 **शालेय प्रबंधन समिति के बैठक की कार्यवृत्त को नोट करना |**

दिसम्बर 2018 और जनवरी 2019 के दौरान संपन्न हुई शालेय प्रबंधन समिति के बैठक की कार्यवृत्त पर विचार करना और नोट करना |

कार्यवृत्त पटल पर रखा गया हैं |

06 **संकल्प:** विचार किया गया और नोट किया गया |

07 **अंदरूनी (इनडोर) व्यायामशाला उपकरण की आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु ई-निविदा |**

अंदरूनी (इनडोर) व्यायामशाला उपकरण की आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु दो बोली प्रणाली के तहत ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या भंडार अनुभाग- अ.सं. 08/2018-19, दिनांक 11.01.2019 दैनिक समाचार पत्र- पुण्यनगरी, देशदूत एवं हिन्दुस्थान टाइम्स में दिनांक 12.01.2019 को और वेबसाइट पोर्टल www.eprocure.gov.in में प्रकशित की गई |

इस कार्यालय के तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बोली दिनांक 04.02.2019 को शाम 03.00 बजे खोला गया | प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत ई-निविदाओं का विवरण निम्नानुसार हैं :-

अ. सं.	कार्यों का विवरण	प्राप्त निविदाओं की कुल संख्या	स्वीकृति निविदाओं की संख्या	अस्वीकृति निविदाओं की संख्या
1	अंदरूनी (इनडोर) व्यायामशाला उपकरण की आपूर्ति एवं संस्थापन	07	03	04*

यह पाया गया कि निविदाकर्ताओं में से एक अर्थात मेसर्स ओसनिक फिटनेस प्रा. लिम., जिनके निविदा को अस्वीकृत किया गया हैं, निविदा की **शर्त संख्या 6** जिसमे यह वर्णित हैं कि “उपकरणों की तत्काल सेवा हेतु सेवा केंद्र स्थानीय अर्थात नाशिक क्षेत्र में होगा” को छोड़कर सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं | इसलिए इस कार्यालय के पत्र संख्या 319/एस.टी.आर.(ए)/ए-10/710 दिनांक 08.02.2019 द्वारा सम्बंधित संस्थान को तीन दिनों के समयावधि के दौरान सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, अगर वो ऐसा करने में विफल होते हैं तो उनकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी, जिस पर मेसर्स ओसनिक फिटनेस प्रा. लिम. ने तकनीकी व्यक्ति, जो बिक्री सेवाओं की देख-भाल करते हैं, का मोबाइल नंबर एवं मुंबई में सेवा केंद्र के पते से अवगत कराया |

इस कार्यालय ने ई-मेल दिनांक 12.02.2019 के माध्यम से सम्बंधित संस्थान को पुनः सूचित किया कि क्या आपका सेवा केंद्र नाशिक में स्थित है या नहीं, इस कार्यालय को सूचित करें, सूचना न देने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा उनके तकनीकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा | सम्बंधित संस्थान से आज की तारीख तक कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ है |

इन स्थितियों में, 03 स्वीकृत निविदाओं के सम्बन्ध में वित्तीय बोली जिसे **07.02.2019** खोला जाना अपेक्षित था, उसे नहीं खोला जा सका और इस मामले में आगे के निर्णय हेतु उक्त को परिषद के समक्ष खोलने का प्रस्ताव दिया गया हैं |

विचार करना और निर्णय लेना |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखी गयी हैं |

07 **संकल्प:** विचार किया गया और मेसर्स ओसनिक फिटनेस प्रा. लिम. के निविदा को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह 'तत्काल और समय पर सेवा हेतु नाशिक में सेवा केंद्र होने की महत्वपूर्ण शर्त को पूरा नहीं करता है | मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आगे सूचित किया कि मेसर्स ओसनिक फिटनेस प्रा. लिम. ने एक स्वच्छंद (फ्रीलांस) सेवा प्रदाता का संपर्क नंबर दिया है और उस पर पूछ-ताछ करने पर यह पाया गया कि उपर्युक्त कंपनी की नाशिक में कोई सेवा केंद्र नहीं है |

आगे यह निर्णय लिया गया कि अन्य बोलीकर्ताओं की बोली खोली जाए और आगामी परिषद की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए क्योंकि सेवा केंद्र की अनुपलब्धता व्यायामशाला के कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है |

08 **अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की भर्ती |**

संदर्भ: छावनी परिषद संकल्प संख्या 15 दिनांक 04.01.2019 |

परिषद ने छावनी परिषद संकल्प द्वारा मेसर्स एन.एच. पटेल के द्वारा उद्धृत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों हेतु दर क्रमशः रु. 14311/-, 16174/- एवं 18956/- को अनुमोदन दिया |

अनुभाग प्रमुख अर्थात अनुभागीय अभियंता (जलापूर्ति), प्रधानाध्यापक, छावनी परिषद हाईस्कूल, और प्रशासनिक अधिकारी, छावनी परिषद देवलाली ने रिपोर्ट किया हैं कि उनके अनुभागों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता हैं |

अ.सं.	पद का नाम	पदों की	सम्बंधित अनुभाग	दर प्रति माह

		संख्या		(रु. में)
1	पंप प्रचालक	01	जलापूर्ति	16174/-
2	फ़िल्टर सहायक	01	जलापूर्ति	16174/-
3	कार्यालय सहायक	03	प्रशासनिक, स्वास्थ्य एवं छावनी परिषद हाईस्कूल	14311/-
4	कनिष्ठ सहायक	01	स्वास्थ्य	18956/-

तदनुसार, इस कार्यालय के पत्र संख्या 210/पी.डब्ल्यू.एस./ई-3/312 दिनांक 18.01.2019 और 58/ए.डी.एम/ई-1/657, दिनांक 05.03.2019 द्वारा सम्बंधित ठेकेदार को उपरोक्त कर्मचारी को दो महीने के लिए किराये के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था और ठेकेदार ने फ़िल्टर सहायक को छोड़कर उक्त सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराया |

अ.सं.	व्यक्ति का नाम	पद का नाम	सम्बंधित अनुभाग	कार्यग्रहण तारीख
1	श्री वीर भीमसेन महादु	पंप प्रचालक	जलापूर्ति	04.02.2019
2	श्री पंकज अरुण देवकर	कार्यालय सहायक	प्रशासनिक (प्रेषण)	13.02.2019
3	श्री अभिषेक राजाराम लोने	कार्यालय सहायक	छावनी परिषद हाईस्कूल	01.02.2019
4	श्री विन्सेंट कुमार	कार्यालय सहायक	स्वास्थ्य	06.02.2019
5	श्री के.एस. कापसे	कनिष्ठ सहायक	स्वास्थ्य	06.02.2019

यह सिफारिश की जाती हैं कि अनुभागों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु उपरोक्त कर्मचारी को 11 महीने की अवधि हेतु भर्ती किया जाए |

विचार करना और अनुमोदन देना |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

08 **संकल्प:** विचार किया गया और ठेकेदार के माध्यम से तीन महीनों की अवधि हेतु कर्मचारी की नियुक्ति को अनुमोदन दिया गया |

लम्बे समय से खाली पदों को जिन्हें भरा जाना आवश्यक है के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि एक बार निविदा आमंत्रित करके रिक्त पदों को भरा जाए और उचित योग्यता वाले कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए | उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी पदों पर नियुक्ति के बाद पद से हटाने के कारण उनके साथ अन्याय हुआ है |

श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि राजस्व अनुभाग के लिए अधिक संख्या में कुशल कार्मिक प्रदान किए जाने चाहिए |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने परिषद को सूचित किया कि पारदर्शी प्रक्रिया को बनाये रखते हुए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता (सिविल), अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय हेतु सहायक शिक्षक और कनिष्ठ सहायक हेतु सीधी भर्ती की जा रही है, जैसा कि इस उद्देश्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है और आगे की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया |

श्री दिनकर वामन आढ़ाव- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि निर्वाचित सदस्य को आरक्षण रोस्टर से अवगत कराया जाना चाहिए और उनके जागरूकता के लिए उसकी एक एक प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि प्रति कार्यालय के पास उपबल्ब्ध है और निर्वाचित सदस्य उसकी प्रति ले सकते है या उसका अवलोकन कर सकते हैं |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया कि भर्ती इस कार्यालय के द्वारा अनुरक्षित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जा रही है |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने होर्डिंग का मामला उठाया और कहा कि इस मामले पर परिषद में चर्चा करने की जरुरत है |

उन्होंने आगे कहा कि पूर्व की तरह, विजय नगर, बार्नस स्कूल, जैसे क्षेत्रों, जो छावनी परिषद कार्यालय से दूर है, से सम्बंधित करों के संग्रहण हेतु कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की जाए | मुद्दे पर चर्चा किया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह के 1 तारीख से 10 तारीख तक, दो दिनों के लिए, एक कार्मिक को उक्त स्थान अर्थात रेस्ट कैंप रोड पर ई.एस.आर. टैंक के नजदीक कमरें में परिषद से सम्बंधित घर कर / जल प्रभार बकाया के संग्रहण हेतु नियुक्त किया जाएगा |

आगे यह निर्णय लिया गया कि अभ्यास को 06 महीनों की अवधि के लिए देखा जाना चाहिए और फिर इसके निरंतरता के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाए |

09 प्रोद्भवन आधारित लेखांकन प्रणाली (एक्रुअल बेस्ड एकाउंटिंग सिस्टम- अबास) : एस.एस.के एवं को., चार्टेड एकाउंटेंट्स, नाशिक की सेवाओं का विस्तार |

संदर्भ: छावनी परिषद संकल्प संख्या 08 दिनांक 09.02.2018 एवं एस.एस.के एवं को., चार्टेड एकाउंटेंट्स, नाशिक से प्राप्त पत्र दिनांक 04.02.2019 |

उपरोक्त छा.प.सं. संख्या द्वारा परिषद ने प्रोद्भवन आधारित लेखांकन प्रणाली (एक्रुअल बेस्ड एकाउंटिंग सिस्टम- अबास) हेतु एक साल की अवधि अर्थात 17.01.2018 से 16.01.2019 तक प्रति माह रु. 25,000/- वेतन पर एस.एस.के एवं को.,चार्टेड एकाउंटेंट्स, नाशिक की नियुक्ति का मामला नोट किया | चूँकि परियोजना पूरी नहीं हुई है इसलिए आगे और एक साल की अवधि हेतु एस.एस.के एवं को.,चार्टेड एकाउंटेंट्स, नाशिक की सेवा की आवश्यकता हैं | उपरोक्त दर्शाये गए पत्र के माध्यम से एस.एस.के एवं को., चार्टेड एकाउंटेंट्स, नाशिक ने महंगाई घटक के आधार पर अपनी वेतन रु. 30,000/- (रुपये तीस हज़ार) तक संशोधित करने हेतु अनुरोध किया हैं | मौजूदा दर रु. 25,000/- का निर्धारण दिसम्बर 2015 माह में किया गया था, लेकिन वास्तविक कार्य जनवरी 2018 अर्थात अबास एप्लीकेशन प्राप्ति के बाद से शुरू हुआ था |

विचार करना और अनुमोदन देना |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया है |

09 **संकल्प:** विचार किया गया | मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रोद्भवन आधारित लेखांकन प्रणाली (एक्रुअल बेस्ड एकाउंटिंग सिस्टम- अबास) के बारे में बताया | परिषद ने चार्टेड अकाउंटेंट के विस्तार और वेतन को रु. 30,000/- प्रति माह तक बढ़ाने हेतु अनुमोदन दिया |

10 अध्यक्ष, छावनी परिषद की स्वीकृति को नोट करना |

छावनी अधिनियम 2006 के धारा 26(2) के अंतर्गत विविध कार्यों हेतु अध्यक्ष, छावनी परिषद द्वारा जारी किए गए स्वीकृति को नोट करना।

अ. स.	अध्यक्ष, छावनी परिषद द्वारा स्वीकृति की तिथि	विषय / विवरण
1	17.01.2019	छावनी निधि स्कूल मैदान, आनंद रोड, देवलाली पर जॉगिंग ट्रैक के निर्माण हेतु ई-निविदा - श्री संतोष शिवाजी शिंदे, पोस्ट- ठानगांव, तालुका- सिन्नर, जिला- नाशिक द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दर रु. 25,89,773.11 को स्वीकृति
2	17.01.2019	छावनी निधि सड़कों को कंक्रीट सहित रख-रखाव के कार्य हेतु ई-निविदा- मेसर्स ऋषभ कंस्ट्रक्शन द्वारा जमा रु. 3,00,000/- की बकाया जमा राशि को जब्त किया गया और ठेकेदार को एक साल की अवधि तक छावनी परिषद, देवलाली के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु ब्लैकलिस्ट करना, आगे विषयांकित निविदा को रद्द करना और पुनः ई-निविदा आमंत्रण करना |
3	21.01.2019	01.02.2019 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि तक देवलाली छावनी (तृतीय आमंत्रण) के दैनिक बाज़ार शुल्क के संग्रहण अधिकार के पट्टे हेतु पुनः ई-निविदा | मेसर्स के.व्ही. इंटरप्राइजेज, नाशिक रोड द्वारा उद्धृत रु. 14,11,000/- की बोली को स्वीकृति |

10 **संकल्प:** विस्तार किया गया और नोट किया गया |

11 **शेड एवं शौचालय ब्लॉक का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री अरुण एम. बल्कावडे ने (1) एम.एस. पोल सहित 11.80 मी.X 4.50 मी.X 4.50 मी. ऊंचाई (औसतन) और (2) 4.30 मी.X 6.90 मी.X 4.50 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाली शेड का निर्माण किया है तथा सी.जी.आई. शीट द्वारा छत को ढका है और 2.80 मी.X 2.50 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाली शौचालय का निर्माण भगुर शिवर के रेवेन्यु सर्वे संख्या 75/3ए पर न्यू पंचगंगा हौसिंग सोसाइटी, धोंडे रोड, विजयनगर, देवलाली के परिसर में किया | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए शेड एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/6321 दिनांक 27.12.2018 द्वारा श्री अरुण एम्. बल्कावडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री अरुण एम. बल्कावडे, (भगुर शिवर के रेवेन्यु सर्वे संख्या 75/3ए पर न्यू पंचगंगा हौसिंग सोसाइटी, धोंडे रोड, विजयनगर, देवलाली) को सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

11 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री अरुण एम. बल्कावडे को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

12 आर.सी.सी. फूटिंग्स एवं ग्राउंड बीम का अनाधिकृत निर्माण |

श्री बालू शंकर विटकर एवं अन्य तीन ने आर.सी.सी. फूटिंग्स और ग्राउंड बीम सहित 9.00 मी.X 10.00 मी. ऊंचाई (औसतन) वाले प्लिंथ बीम का निर्माण किया हैं और चारणवाडी, शिगवे बाहुला, देवलाली पर शिगवे बाहुला शिवर, के रेव. सर्वे संख्या 14 पर आगे का कार्य प्रगति पर है| उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए भवन और शेड का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/587 दिनांक 01.02.2019 द्वारा श्री बालू शंकर विटकर एवं अन्य तीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री बालू शंकर विटकर एवं अन्य तीन (चारणवाडी, शिगवे बाहुला, देवलाली पर शिगवे बाहुला शिवर, के रेव. सर्वे संख्या 14) को सूचना जारी किया जाए |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

12 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री बालू शंकर विटकर एवं अन्य तीन को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

13 **भवन का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री बबन तुकाराम अव्हाड ने पहले मंजिल पर आर.सी.सी. कॉलम, स्लैब और ईंट के दीवार द्वारा चारों तरफ 7.00 मी.X 15.00 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) और 12.50 मी.X 15.50 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाली भवन का निर्माण रेस्ट कैंप रोड, देवलाली के भगुर शिवर के रेव.सर्वे संख्या 353/1/ई-ए पर किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए भवन और शेड का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/586 दिनांक 01.02.2019 द्वारा श्री बबन तुकाराम अव्हाड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री बबन तुकाराम अव्हाड (रेस्ट कैंप रोड, देवलाली के भगुर शिवर के रेव.सर्वे संख्या 353/1/ई-ए) को सूचना जारी किया जाए |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

13 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री बबन तुकाराम अव्हाड को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

14 **शेड का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री सचिन काम्बले ने भगुर रेलवे गेट, सिन्नर के नजदीक- पांढूर्ली रोड, देवलाली पर एम.एस. एंगल्स द्वारा 7.00 मी.X 5.00 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) वाले शेड का निर्माण किया और चारों तरफ और छत्त को सी.जी.आई. शीट्स द्वारा ढक दिया | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए शेड का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/588 दिनांक 25.01.2019 द्वारा श्री सचिन काम्बले को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री सचिन काम्बले (भगुर रेलवे गेट, सिन्नर के नजदीक- पांढूर्ली रोड, देवलाली) को सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

14 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री सचिन काम्बले को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

15 **प्लिंथ कॉलम का अनाधिकृत निर्माण और ईंट की दिवार का निर्माण कार्य प्रगति पर है |**
श्री माधवराव जयसिंहराव देशमुख ने शिगवे बहुला शिवर, शिगवे बहुला, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 4/1 पर 12.00 मी.X 6.00 मी.X 1.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले और 5.00 मी.X 4.00 मी.X 1.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले आर.सी.सी. सहित प्लिंथ का निर्माण किया हैं और ईंट की दिवार का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए प्लिंथ, कॉलम, और ईंट की दिवार का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/212 दिनांक 14.01.2019 द्वारा श्री माधवराव जयसिंहराव देशमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का जवाब अपने पत्र दिनांक 05.02.2018 द्वारा दिया | पत्र की अंतर्वस्तु इस कार्यालय द्वारा तर्कसंगत एवं स्वीकृत नहीं हैं और रेवेन्यु सर्वे संख्या 4/1 के स्थान पर सर्वे सं. 85 का संशोधन किया गया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री माधवराव जयसिंहराव देशमुख (शिगवे बहुला शिवर, शिगवे बहुला, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 85) को सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

15 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री माधवराव जयसिंहराव देशमुख को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

16 **प्लिंथ कॉलम का अनाधिकृत निर्माण और ईंट की दिवार का निर्माण कार्य प्रगति पर है |**
श्री रामकृष्णा (बालू) पंढारीनाथ मोजाड ने शिगवे बहुला शिवर, शिगवे बहुला, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 34/9 पर 6.75 मी.X 9.00 मी.X 1.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले आर.सी.सी. सहित प्लिंथ का निर्माण किया हैं और ईंट की दिवार का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए प्लिंथ, कॉलम, और ईंट की दिवार का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/213 दिनांक 14.01.2019 द्वारा श्री रामकृष्णा (बालू) पंढारीनाथ मोजाड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उनके द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया दिनांक 17.01.2019 के अनुसार नाम में संशोधन किया गया | श्री रामकृष्णा (बालू) पंढारीनाथ मोजाड के रूप में नाम का संशोधन किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का जवाब अपने पत्र दिनांक 17.01.2019 द्वारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे संरचनात्मक भवन नक्शा प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं और संरचनात्मक शुल्क जैसा लागू हैं के लिए भी तैयार है | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री रामकृष्णा (बालू) पंढारीनाथ मोजाड (शिगवे बहुला शिवर, शिगवे बहुला, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 34/9) को सूचना जारी किया जाए |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

16 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री रामकृष्णा (बालू) पंढारीनाथ मोजाड को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

17 **भवन का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री किशोर एम. शाह ने (1) 5.00 मी.X 3.65 मी.X 4.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले शेड (2) भवन के पीछे 5.00 मी.X 1.20 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले स्नानागार (3) 5.00 मी.X 1.20 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले शेड (4) पहली मंजिल के सामने 2.50 मी.X 0.90 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले सीढियों का निर्माण बेलातागांव शिवर के रेवेन्यु सर्वे संख्या 21/2 के बंगलो संख्या 17 एवं 18, शाहजानंद एन्क्लेव, सी.एच.एस. लिम. बेलतगांव रोड, लैम रोड, देवलाली पर किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए शेड, स्नानागार और सीढियों का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/208 दिनांक 10.01.2019 द्वारा श्री किशोर एम. शाह ने को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर अपने पत्र दिनांक 25.01.2019 और 28.01.2019 द्वारा दिया है | इन पत्रों की अंतर्वस्तु इस कार्यालय द्वारा तर्कसंगत और स्वीकृत नहीं हैं | वे आवश्यक प्रभार देने हेतु एवं इसे नियमित करने हेतु तैयार है | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री किशोर एम. शाह, बंगलो संख्या 17 एवं 18, शाहजानंद एन्क्लेव, सी.एच.एस. लिम. बेलतगांव रोड, लैम रोड, देवलाली को सूचना जारी किया जाए |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

17 **संकल्पः** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री किशोर एम. शाह को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

18 **कमरों एवं शेड का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री एल.डी. शाह (1) निचले तल पर 3.65 मी.X 2.50 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाला कमरा (2) पहली मंजिल पर 3.00 मी.X 2.50 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाला कमरा (3) पहली मंजिल पर 2.50 मी.X 1.20 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) और 2.50 मी.X 2.50 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप की एम.एस. पाइप सहित शेड और छत्त हेतु ए.सी. शीट का निर्माण बेलातागांव शिवर के रेवेन्यु सर्वे संख्या 21/2 के बंगलो संख्या 7 शाहजानंद एन्क्लेव, सी.एच.एस. लिम. बेलतगांव रोड, लैम रोड, देवलाली पर किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए कमरों और शेड का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/207 दिनांक 10.01.2019 द्वारा श्री एल.डी. शाह ने को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर अपने पत्र दिनांक 25.01.2019 द्वारा दिया है | जिसमें उन्होंने कहा है कि उपरोक्त सूचना में वर्णित किए गए निर्माण कार्य को वे स्वीकार नहीं करते है | इन पत्रों की अंतर्वस्तु इस कार्यालय द्वारा तर्कसंगत और स्वीकृत नहीं हैं | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री एल.डी. शाह, बंगलो संख्या 7, शाहजानंद एन्क्लेव, सी.एच.एस. लिम. बेलतगांव रोड, लैम रोड, देवलाली को सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

18 **संकल्पः** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री एल.डी. शाह को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

19 **कमरा, सीढ़ी का अनाधिकृत निर्माण और शेड का निर्माण |**

श्री कमल जावेरी (1) निचले तल पर बंगलो के पीछे 5.00 मी.X 3.65 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाला कमरा (2) पहली मंजिल पर 2.50 मी.X 0.9 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाला सीढ़ी (3) 3.00 मी.X 3.00 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले एम.एस. पाइप सहित शेड और छत्त हेतु मंगलोर टाइल्स निर्माण बेलातागांव शिवर के रेवेन्यु सर्वे संख्या 21/2 के बंगलो संख्या 5 एवं 6 शाहजानंद एन्क्लेव, सी.एच.एस. लिम. बेलतगांव रोड, लैम रोड, देवलाली पर किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए कमरा, सीढ़ी और शेड का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/209 दिनांक 10.01.2019 द्वारा श्री कमल जावेरी ने को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री कमल जावेरी, बंगलो संख्या 5 एवं 6, शाहजानंद एन्क्लेव, सी.एच.एस. लिम. बेलतगांव रोड, लैम रोड, देवलाली को सूचना जारी किया जाए |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

19 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री कमल जावेरी को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

20 **भवन का अनाधिकृत निर्माण और शेड का निर्माण |**

श्रीमती समीरा इनतियाज अंसारी ने (1)निचले तल पर 15.00 मी.X 7.00 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) और पहली मंजिल पर 10.00 मी.X 7.00 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाली भवन का निर्माण भगुर शिवर, मल्हारी बाबा नगर, बार्न स्कूल रोड, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 267/2/बी पर किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए भवन का निर्माण अनाधिकृत हैं |
इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/495 दिनांक 25.01.2019 द्वारा श्रीमती समीरा इनतियाज अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्रीमती समीरा इनतियाज अंसारी, (भगुर शिवर, मल्हारी बाबा नगर, बार्न स्कूल रोड, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 267/2/बी) सूचना जारी किया जाए |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

20 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्रीमती समीरा इनतियाज अंसारी को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

21 **प्लिंथ का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री दिलीप नन्नू मनोहर ने 7.00 मी.X 15.00 मी.X 1.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले आर.सी.सी. फूटिंग और प्लिंथ बीम और कॉलम सहित प्लिंथ का निर्माण भगुर शिवर, मल्हारी बाबा नगर, बार्न स्कूल रोड, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 267/1/ए/1/ए पर किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए प्लिंथ का निर्माण अनाधिकृत हैं |

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/498 दिनांक 24.01.2019 द्वारा श्री दिलीप नन्नू मनोहर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री दिलीप नन्नू मनोहर, (भगुर शिवर, मल्हारी बाबा नगर, बार्न स्कूल रोड, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 267/1/ए/1/ए) सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

21 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री दिलीप नन्नू मनोहर को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

22 **भवन का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री लक्ष्मण रामभाऊ वाघचौरे ने 15.00 मी.X 7.00 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले आर.सी.सी. कॉलम और बीम और ईंट की दिवार द्वारा भवन का निर्माण भगुर शिवर, मल्हारी बाबा नगर, बार्न स्कूल रोड, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 267/1/ए/1/ए पर किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए भवन का निर्माण अनाधिकृत हैं|

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/497 दिनांक 25.01.2019 द्वारा श्री लक्ष्मण रामभाऊ वाघचौरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री लक्ष्मण रामबाबू वाघचौरे, (भगुर शिवर, मल्हारी बाबा नगर, बार्न स्कूल रोड, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 267/1/ए/1/ए) सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

22 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री लक्ष्मण रामभाऊ वाघचौरे को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

23 **भवन का अनाधिकृत निर्माण और शेड का निर्माण |**

श्रीमती रीना हेनरे ने 7.00 मी.X 15.00 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले आर.सी.सी. कॉलम, बीम और स्लैब द्वारा भवन का निर्माण भगुर शिवर, मल्हारी बाबा नगर, बार्न स्कूल रोड, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 267/1/ए/1/ए पर किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए भवन का निर्माण अनाधिकृत हैं|

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/496 दिनांक 25.01.2019 द्वारा श्रीमती रीना हेनरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्रीमती रीना हेनरे (भगुर शिवर, मल्हारी बाबा नगर, बार्न स्कूल रोड, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 267/1/ए/1/ए) सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

23 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्रीमती रीना हेनरे को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

24 **प्लिंथ का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री सुधाकर शंकर लिपाने ने विद्या विनय सोसाइटी, लॉरेंस रोड, देवलाली के घर संख्या 1056/18 के पहली मंजिल पर 12.50 मी.X 11.00 मी.X 3.00 मी. ऊंचाई (औसतन) माप वाले आर.सी.सी. कॉलम, और चारों तरफ से ईंट की दिवार द्वारा भवन निर्माण का किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए भवन का निर्माण अनाधिकृत हैं|

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/755 दिनांक 12.02.2019 द्वारा श्री सुधाकर शंकर लिपाने को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री सुधाकर शंकर लिपाने घर संख्या, 1056/18 विद्या विनय सोसाइटी, लॉरेंस रोड, देवलाली को सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

24 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री सुधाकर शंकर लिपाने को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

25 **प्लिंथ का अनाधिकृत निर्माण |**

श्री रामदास कालू बेरड ने अम्बडवाड़ी, शिगवे बहुला, देवलाली के घर संख्या 16 एवं 17 पर 12.50 मी.X 10.50 मी.X 11.00 मी ऊंचाई (औसतन) माप वाले आर.सी.सी. फूटिंग और प्लिंथ बीम द्वारा प्लिंथ का निर्माण किया है | उपरोक्त निर्माण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना किया गया हैं इसलिए प्लिंथ का निर्माण अनाधिकृत हैं|

इस कार्यालय के सूचना संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/740 दिनांक 08.02.2019 द्वारा श्री रामदास कालू बेरड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया | उन्होंने जारी किए गए सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि छावनी अधिनियम, 2006 के यू/एस 248 एवं 320 के तहत श्री रामदास कालू बेरड, शिगवे बहुला, देवलाली को सूचना जारी किया जाए |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

25 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के तहत श्री रामदास कालू बेरड को सूचना जारी करने हेतु अनुमोदन दिया गया, जिसमें उन्हे कथित अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, उक्त को हटाने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत दूसरी सूचना दी जाएगी, जिसमे उन्हे 15 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर कथित निर्माण हटाने का कार्य विभाग के तरफ से उनके जोखिम और खर्च पर की जाएगी।

26 **जल-निकासी लाइन (ड्रेनेज लाइन) के निर्माण हेतु अनुमति |**

श्री सुनील सी. फुरिया की ओर से श्री मुकुल एस. पाटील ने पत्र दिनांक 26.11.2018 द्वारा उनकी सोसाइटी “शाह गार्डन रेसीडेंसी” के शोष-गर्त से भूमिगत जल-निकासी पाइप लाइन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है | उक्त सोसाइटी, जो भगुर के रेवेन्यु सर्वे संख्या 54/2 पर स्थित हैं, का मुख्य जल निकासी लाइन, जो दोंडे रोड नाम. I, छावनी परिषद से सम्बन्धित हैं, तक भवन नक्शा को स्वीकृति परिषद के द्वारा दी गयी थी | आवेदक ने ड्राइंग भी प्रस्तुत किया हैं जिसमे रेखा संरेखण, व्यास और बिछाई जाने वाली पाइप की सामग्री, उत्खनन की गहराई और चौड़ाई, चैम्बर, एयर वाल्व आदि सम्मिलित है | आवेदक उक्त कार्य हेतु होने वाले खर्च का वहन करने के लिए तैयार है | भविष्य में, आस पास के क्षेत्रों में यदि कोई भी अस्वच्छता की स्थिति अर्थात जल निकासी पाइप लाइन का रिसाव, शोष-गर्त का अतिप्रवाह आदि की घटना होती है तो जल निकासी पाइप लाइन का रख-रखाव केवल सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा पूरा किया जाएगा | यदि वे ऐसा करने में विफल होते है तो सोसाइटी के चेयरमेन / अध्यक्ष को सूचना दिए बिना इस कार्यालय के द्वारा जल निकासी संबंधन काट दिया जाएगा | इस प्रयोजन हेतु सोसाइटी के चेयरमेन / अध्यक्ष ने वचनपत्र प्रस्तुत किया हैं |

विचार करना और अनुमोदन देना |
श्री सुनील सी. फुरिया की ओर से श्री मुकुल एस. पाटील ने पत्र दिनांक 26.11.2018 सहित सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया हैं |

26 **संकल्प:** परिषद ने विचार किया और मामले पर विस्तार से चर्चा की |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निवाचित सदस्य ने कहा कि क्षेत्र का सर्वे आवश्यक है |

यह चर्चा की गई कि रेखाचित्र (ड्राइंग) को स्वतंत्र सलाहकार के पास भेजा जाए | यह भी चर्चा की गई कि मामले को गैरिसन इंजिनियर / सहायक गैरिसन इंजिनियर, एम.ई.एस.(एस) या कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के पास भेजा जाए | इस प्रकार मामले को स्वतंत्र सर्वे हेतु लंबित रखा गया |

श्री बाबुराव निवृत्ति मोजाड- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि वार्ड संख्या VI एवं VIII का सर्वे शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए और उक्त हेतु मेसर्स खिल्लारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिम. से संपर्क किया जाए |

27 **वाहन पार्किंग |**

संदर्भ: छावनी परिषद संकल्प संख्या 29 दिनांक 28.06.2018 |

उपरोक्त छावनी परिषद संकल्प द्वारा परिषद ने छावनी परिषद के विभिन्न क्षेत्रों के पार्किंग जोन पर दो पहियों एवं चार पहियों वाली वाहनों हेतु पार्किंग शुल्क को अनुमोदन दिया था |

तदनुसार, निम्नलिखित सड़कों के किनारे इस कार्यालय द्वारा दो पहिया वाहनों के लिए “नो पार्किंग” का रेट्रो रेफ्लेक्टिव साइन बोर्ड विषम-सम दिन हेतु तय किए गए है |

i) हौसन रोड
ii) मेन स्ट्रीट
iii) मिठाई स्ट्रीट
iv) वडनेर रोड

प्रारंभिक 15 मिनट हेतु वाहनों के पार्किंग हेतु कोई शुल्क नहीं होगा | यदि दो पहिया वाहन “नो पार्किंग” जोन में पाया गया तो वाहन के मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा | तथापि चार पहियों वाले वाहनों हेतु पार्किंग निम्नलिखित स्थानों पर तय की गई हैं :-

i) सन्डे मार्केट क्षेत्र
ii) देवलाली पुलिस स्टेशन, वडनेर रोड के नजदीक
iii) छावनी परिषद कार्यालय (प्रवेश द्वारा) के सामने का स्थान

दो पहियों एवं चार पहियों वाली वाहनों की पार्किंग का कार्यान्वयन 15 मार्च, 2019 से शुरू किया जाए, पार्किंग शुल्क का संग्रहण बहि:स्त्रोत किया जाए |

विचार करना और निर्णय लेना |

27 **संकल्प:** विचार किया गया और विस्तार में चर्चा की गई |

सायली मेडिकल स्टोर के नजदीक के क्षेत्र को भी पार्किंग प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाए |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि पी.पी.ई. अधिनियम के तहत सूचनाएँ अनुभागीय अभियंता (जलापूर्ति) के द्वारा सायली मेडिकल स्टोर की और जाने वाली सड़क के सम्बन्धित अतिक्रमंकारियों को भेजी जाएगी |

विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि 05 मार्च 2019 को परिषद के सदस्यों द्वारा स्थल का निरिक्षण किया जाएगा और 10 मार्च 2019 से वाहन पार्किंग शुरू किया जाएगा, जैसा की प्रस्तावित है और 15 मार्च 2019 से बकायेदारों/चूक करने वालो पर जुर्माना लगाया जाएगा | रोड के किनारे फूटपाथ/पेवर ब्लॉक का प्रावधान किया जाना वित्त उपलब्धता के अधीन है |

28 हौसन रोड पर प्रस्तावित शौपिंग कॉम्प्लेक्स |

संदर्भ: छावनी परिषद संकल्प संख्या 03 दिनांक 17.11.2018 |
उपरोक्त छावनी परिषद संकल्प द्वारा परिषद ने निम्नलिखित प्रस्तावित परियोजना के नक़्शे एवं परिशोधित प्राक्कलन को अनुमोदन दिया था |

1. इंडोर स्टेडियम सहित खेल का मैदान, आनंद रोड स्कूल मैदान |
2. सार्वजनिक हॉल प्लस शौपिंग कॉम्प्लेक्स, हौसन रोड |

तदनुसार, उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना के नक़्शे एवं परिशोधित प्राक्कलन को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1309/बी.एल.डी./ई-8/687 दिनांक 06.02.2019 द्वारा कमांडर वर्क्स इंजिनियर, देवलाली को पुनरीक्षण हेतु प्रेषित किया गया हैं |

इसी बीच, इस कार्यालय ने प्रस्तावित शौपिंग कॉम्प्लेक्स, हौसन रोड, अवलोकन हेतु जिसे पटल पर रखा गया है, के सम्बन्ध में दुकान के पट्टा के नीलामी के लागत लाभ विश्लेषण सहित नियम एवं शर्तें तैयार की है |

विचार करना और निर्णय लेना |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया है |

28 **संकल्प:** विचार किया गया | कार्यालय के द्वारा बनाए गए नियम एवं शर्ते परिषद के सभी सदस्यों में परिचालित की गई और दिए गए सुझाव के अनुरूप कुछ संशोधन के साथ उक्त को अनुमोदन दिया गया | जमा राशि, डी.डी / एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार किया जाए, जो निम्नलिखित क्षेत्र पर निर्भर करता है |

अ.सं.	मंजिल का प्रकार	दुकान का क्षेत्र	जमा राशि (रु. में).
1	निचली मंजिल	175-200 वर्ग मी.	10 लाख
2	निचली मंजिल	200 से 400 वर्ग मी.	12.5 लाख
3	पहली मंजिल	175-200 वर्ग मी.	8 लाख
4	पहली मंजिल	200-400 वर्ग मी.	12.5 लाख
5	निचली मंजिल	2722 वर्ग मी.	20 लाख
6	पहली मंजिल	4086 वर्ग मी.	30 लाख

आगे यह निर्णय लिया गया कि नियम एवं शर्ते परिषद के क़ानूनी सलाहकार को आवश्यक पुनरीक्षण हेतु प्रेषित की जाए |

श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य ने कहा कि वडनेर रोड पर शौपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के मामले पर जल्द से जल्द से निर्णय लिया जाए |

29 अस्पताल कर्मचारियों के अनुबंध का नवीकरण |

संदर्भ: छावनी परिषद संकल्प संख्या 04 दिनांक 28.06.2018 |

स्थायी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं कुछ स्थायी कर्मचारियों के निधन के कारण छावनी जनरल अस्पताल, देवलाली में चिकित्सा और पराचिकित्सा कर्मचारियों सम्बंधित कई स्थायी रिक्तियाँ है | छावनी जनरल अस्पताल 75 बिस्तरों वाला अस्पताल है और औसतन मासिक ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. क्रमशः 7500 एवं 450 है और पिछले 20 वर्षो में बड़े स्तर पर स्थायी भर्ती नहीं की गयी है | इसलिए, छावनी परिषद ने अनुबंध आधार पर चिकित्सा और पराचिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती करने के विकल्प का चयन किया | छावनी परिषद संकल्प संख्या 04 दिनांक 28.06.2018 द्वारा छावनी जनरल अस्पताल हेतु अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दी | निम्नलिखित कर्मचारियों की मौजूदा अनुबंध अवधि दिनांक 31.03.2019 को समाप्त होने वाली है | सम्बंधित कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद पाया गया |

अस्पताल के सुचारू संचालन हेतु कथित कर्मचारियों को उपयुक्त विराम देकर आगे की अवधि (अर्थात 29.02.2020 तक) हेतु पुनःभर्ती करने की आवश्यकता है | मौजूदा वेतन एवं प्रस्तावित वेतन से सम्बंधित विवरण निम्नानुसार है :-

अ.सं.	नाम	पद	कार्यग्रहण तिथि	अनुबंध समाप्ति की तिथि	वर्तमान वेतन	प्रस्तावित वेतन
1.	डॉ. स्वाती एम. शुक्ला	एम.ओ. (एम.बी.बी.एस.)	05.5.2018	31.3.2019	50190	50820
2	डॉ. धीरज कटारे	एम.ओ. (बी.ए.एम.एस.)	05.5.2018	31.3.2019	32504	32912
3.	डॉ. अविनाश बोरसे	एम.ओ. (बी.ए.एम.एस.)	05.5.2018	31.3.2019	32504	32912
4.	डॉ. विवेक बी. ठाकरे	नेत्र विशेषज्ञ	05.5.2018	31.3.2019	50190	50820
5.	वर्षा घुसले	परिचारिका	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
6.	मेघा एस. रोकडे	परिचारिका	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670

7.	सागर एस. पवार	परिचारिका	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
8.	तेजस्विनी शिंदे	परिचारिका	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
9.	रश्मि रामटेके	परिचारिका	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
10.	योगिता वाघ	परिचारिका	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
11.	कविता वाघ	परिचारिका	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
12.	सोनल राठोर	परिचारिका	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
13.	पूनम बी. श्रीसाठ	परिचारिका	03.6.2018	31.3.2019	32265	32670
14.	सिन्ड्रेला सेनगुप्ता	परिचारिका	02.6.2018	31.3.2019	32265	32670
15	रोहिनी गाड़ेकर	परिचारिका	03.6.2018	31.3.2019	32265	32670
16.	जाकिरा पटेल	परिचारिका	04.6.2018	31.3.2019	32265	32670
17	सोनाली गोडसे (उगाले)	लैब तकनीशियन	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
18	श्रीकांत रंशिवारे	एक्स-रे तकनीशियन	05.5.2018	31.3.2019	32265	32670
19.	अमृत नर्सिंघानी	आहार विशेषज्ञ	05.5.2018	31.3.2019	13000	13000
20.	राहुल सूर्यवंशी	डी.ई.ओ.	05.5.2018	31.3.2019	16969	17182
21.	रश्मि जाधव	विशेष शिक्षक (स्पे. एडूकेटर)	15.6.2018	31.3.2019	19120	19360
22.	प्रणाली बागले	विशेष शिक्षक (स्पे. एडूकेटर)	15.6.2018	31.3.2019	19120	19360
23.	सुनील पावासे	वार्ड परिचर	05.5.2018	31.3.2019	13719	13990
24.	योगेश वाघमारे	वार्ड परिचर	05.5.2018	31.3.2019	13719	13990
25.	सागर जाधव	वार्ड परिचर	05.5.2018	31.3.2019	13719	13990

26.	माला लाहोट	वार्ड आया	05.5.2018	31.3.2019	13719	13990
27.	अर्चना पार्चा	वार्ड आया	05.5.2018	31.3.2019	13719	13990

विचार करना और अनुमोदन देना |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया है |

29 **संकल्प:** विचार किया गया और अनुमोदन दिया गया |

30 **बाह्य व्यायामशाला उपकरण (आउटडोर जिम इक्विपमेंट) के आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु ई-निविदा|**

बाह्य (आउटडोर) व्यायामशाला उपकरण की आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु दो बोली प्रणाली के तहत ई-निविदा सूचना संख्या भंडार अनुभाग - अनु.सं. 09/2018-19 दिनांक 11.01.2019 को दैनिक समाचार पत्र सकाल, लोकमत एवं हिंदुस्तान टाइम्स में दिनांक 20.01.2019 को और वेबसाइट पोर्टल www.eprocure.gov.in में प्रकाशित की गई थी |
इस कार्यालय के तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बोली दिनांक 15.02.2019 को शाम 03.00 बजे खोला गया | प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत ई-निविदाओं का विवरण निम्नानुसार हैं :-

अ.सं.	कार्यों का विवरण	प्राप्त निविदाओं की कुल संख्या	स्वीकृति निविदाओं की संख्या	अस्वीकृति निविदाओं की संख्या
1	बाह्य (आउटडोर) व्यायामशाला उपकरण की आपूर्ति एवं संस्थापन	07	04	03

उपरोक्त कार्य हेतु इस कार्यालय के वित्तीय मूल्यांकन समिति द्वारा वित्तीय बोली दिनांक 16.02.2019 को खोला गया |

उपरोक्त कार्य हेतु वैध ई-निविदा का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

अ.सं.	विवरण	अनुमानित मात्रा	निरमा कंस्ट्रक्शन को.	हनी फन-एन-थ्रिल को.	सैन्सुन इंडस्ट्रीज	श्री साईं इंडस्ट्रीज
1	स्काई वॉकर	संख्या 05	51850.00	67100.00	44050.00	**33100.00**
2	लेग प्रेस	संख्या 05	**31590.00**	46400.00	37030.00	33100.00
3	सर्फबोर्ड	संख्या 05	35688.00	55700.00	41450.00	**23200.00**
4	रोवेर	संख्या 05	29569.00	33800.00	**26950.00**	33100.00
5	चेस्ट प्रेस	संख्या 05	48865.00	69000.00	**41900.00**	57400.00
6	सिट कम सीटिंग ट्विस्टर	संख्या 05	**32586.00**	62400.00	44800.00	34000.00
7	शोल्डर बिल्डर	संख्या 05	28148.00	45800.00	31050.00	**26800.00**
8	सीटेड पुलर	संख्या 05	48865.00	65800.00	**41100.00**	57400.00
9	साइकिल	संख्या 05	31589.00	47900.00	34300.00	**27000.00**
10	हॉर्स राइडर	संख्या 05	**23659.00**	49700.00	33700.00	33100.00
11	सिट-उप बोर्ड	संख्या 05	22359.00	32700.00	23100.00	**19600.00**
12	थैची स्पिनर	संख्या 05	31168.00	26300.00	**21000.00**	26800.00
13	क्रॉस ट्रेनर	संख्या 05	36689.00	47800.00	**29400.00**	29500.00

14	मल्टी परपज प्ले स्टेशन	संख्या 05	395000.00	386078.00	**274800.00**	**394000.00**
15	टू सीट स्विंग	संख्या 05	24596.00	26300.00	**20500.00**	25900.00
16	इकॉनमी स्लाइड : 2.1 मीटर	संख्या 05	41698.00	36850.00	29100.00	**20500.00**
17	एफ.आर.पी. मिनी वेव स्लाइड	संख्या 05	20589.00	19300.00	**14700.00**	21400.00
18	एफ.आर.पी. वेव स्लाइड : 2.1 मीटर	संख्या 05	54446.00	65800.00	52400.00	**39200.00**
19	फोर सीट एम.जी.आर.	संख्या 05	31968.00	39400.00	**31500.00**	34000.00
20	स्टैण्डर्ड सी-सॉ - टू 3 सीटर	संख्या 05	15128.00	13150.00	**10800.00**	11500.00
		कुल	1036050.00	1237278.00	883630.00	980600.00

विचार करना और निर्णय लेना |

सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया है |

30 **संकल्प:** विचार किया गया और विस्तार से चर्चा की गई | यह पाया गया कि अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग वस्तुओं के लिए न्यूनतम दर उद्धृत किए है |

यह निर्णय लिया गया कि अधिकांश वस्तुओं के सम्बन्ध में सैन्सुन इंडस्ट्रीज और श्री साईं इंडस्ट्रीज ने न्यूनतम दर उद्धृत किया है | आगे, गुणवत्ता में एकरूपकता के साथ साथ दृश्य हेतु एक ठेकेदार से पूरी आपूर्ति लेना बेहतर होगा | इसलिए, दोनों आपूर्तिकर्ताओं से सभी वस्तुओं को न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने हेतु बातचीत की जानी चाहिए | इसके अलावा वस्तुओं की गुणवत्ता की जाँच की जानी चाहिए |

31 **सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु संविदा की समाप्ति |**

सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु संविदा मेसर्स शुभम एच.पी. सिक्यूरिटी फ़ोर्स (I) प्रा. लिम. को इस कार्यालय के पत्र संख्या 319/एस.टी.आर.(ए)/ई-10/5825 दिनांक 26.10.2018 द्वारा 01.11.2018 से 31.10.2019 की अवधि तक दिया गया था | यद्यपि यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा संस्था के साथ निष्पादित अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है |

इस कार्यालय के पत्र संख्या 319/एस.टी.आर.(ए)/ई-10/122 दिनांक 09.01.2019 द्वारा सम्बंधित संस्था को सूचित किया गया था कि वे नीचे उल्लिखित पत्रों में वर्णित त्रुटियों को ठीक करें :-

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंधन |

(ii) संविदा अनुबंध के नियम एवं शर्ते |

(iii) समय पर सुरक्षा कर्मियों के वेतन भुगतान में विफल होना |

इस प्रकार, सम्बंधित संस्था उपरोक्त पर्यवेक्षण का अनुपालन करने में विफल रही | इसलिए इस कार्यालय के पत्र संख्या 319/एस.टी.आर.(ए)/ई-10/563 दिनांक 31.01.2019 द्वारा सम्बंधित संस्था को सूचित किया गया कि दिनांक 01.03.2019 से संविदा को रद्द माना जाएगा |

संविदा अनुबंध के शर्त संख्या 17 अनुसार, सम्बंधित संस्था की प्रतिभूति जमा रु. 13,44,300/- (रुपये तेरह लाख चवालीस हज़ार तीन सौ) पूर्ण या आंशिक भाग जब्त किया जाए |
आगे इस कार्यालय ने ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से निविदा सूचना दैनिक समाचार पत्र देशदूत, पुण्यनगरी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 02.02.2019 को और कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया | बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21.02.2019 है तथा वित्तीय बोली खुलने की तिथि 25.02.2019 है |

विचार करना, नोट करना और निर्णय लेना |
सम्बन्धित कागजात पटल पर रखी गई है |

31 **संकल्प:** विचार किया गया और नोट किया गया |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने परिषद को यह सूचित किया कि मजदूरी भुगतान अधिनियम और अनुबंध के नियम एवं शर्तों का उल्लंधन करते हुए ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करने में विफल रहा है | सुरक्षा कर्मियों के वेतन भुगतान में 3 से 4 सप्ताह की गई है | बार-बार याद दिलाने के बावजूद, ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करने में विफल रहा है | ठेकेदार ने अनुबंध के अन्य नियम एवं शर्तों का भी उल्लंधन किया है और इन उल्लंघनो को सुधारने में विफल रहा है | इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि ठेकेदार की प्रतिभूति जमा राशि को जब्त किया जाना चाहिए | यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आयोजित होने वाली परिषद की विशेष बैठक में फिर से लाया जाए |

परिषद के द्वारा यह नोट किया गया कि उक्त कार्य के लिए नए निविदा हेतु बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21.02.2019 थी और वित्तीय बोली खुलने की अंतिम तिथि 25.02.2019 है |

32 **वर्ष 2019-20 के वार्षिक रख-रखाव कार्य हेतु ई-निविदा |**

देवलाली छावनी में वर्ष 2019-20 के दौरान वार्षिक रख-रखाव कार्य हेतु दो बोली प्रणाली के तहत ई-निविदा सूचना संख्या आर एवं बी - अनु.सं. 36/2019-20 दिनांक 22.01.2019 को दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स, सकाल, लोकमत एवं पुण्यनगरी में दिनांक 23.01.2019 को और वेबसाइट पोर्टल www.eprocure.gov.in में प्रकाशित की गई थी |

अ.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमति लागत (रु. में)
1	छावनी निधि सड़कों का एस.डी.बी.सी. सहित रख-रखाव |	2.50 करोड़
2.	छावनी निधि भवनों का रख-रखाव |	
	i) छावनी निधि विद्यालय भवनों का रख-रखाव |	25 लाख
	ii) छावनी निधि अस्पताल भवन का रख-रखाव एवं क्वार्टर का पुनर्निर्माण |	1.40 करोड़
	iii) छावनी निधि कर्मचारी क्वार्टरों का रख-रखाव |	50 लाख
	iv) छावनी निधि कार्यालय भवन, भंडार एवं सार्वजानिक शौचालय एवं अन्य भवनों का रखरखाव |	1 करोड़
	v) पम्पिंग स्टेशन और फिल्ट्रेशन पर स्थित छावनी निधि भवनों का रख-रखाव |	50 लाख

3.	छावनी निधि खुले ड्रेन / रिटेनिंग वॉल / नाला का रख-रखाव		1 करोड़
4.	छावनी निधि भूमिगत ड्रेन का रख-रखाव		90 लाख
5.	छावनी निधि सड़कों का डब्ल्यू.बी.एम. सहित रख-रखाव		50 लाख
6.	छावनी निधि सड़कों का कंक्रीट सहित रख-रखाव		1.50 करोड़
7.	छावनी निधि भवनों को व्हाइट वॉश / कलर वॉश / डिस्टेंपर / पेंटिंग करना		20 लाख
8	छावनी निधि सी.आई./जी.आई पानी की पाइपलाइन का रख-रखाव		2.50 करोड़
9	सी.आई./जी.आई. फिटिंग उपलब्ध करना और आपूर्ति करना		50 लाख

इस कार्यालय के तकनीकी मूल्यांकन समिति के द्वारा तकनीकी बोली दिनांक 18.02.2019 को दोपहर 12.00 बजे खोला गया | प्राप्त, स्वीकृत, और अस्वीकृत निविदाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

अ.सं.	कार्य का विवरण	प्राप्त निविदाओं की कुल संख्या	स्वीकृत निविदाओं की कुल संख्या	अस्वीकृत निविदाओं की कुल संख्या
1	छावनी निधि सड़कों का एस.डी.बी.सी. सहित रख-रखाव		05	05	कोई नहीं
2.	छावनी निधि भवनों का रख-रखाव				
	i) छावनी निधि विद्यालय भवनों का रख-रखाव		03	01	02
	ii) छावनी निधि अस्पताल भवन का रख-रखाव एवं क्वार्टर का पुनर्निर्माण		01	केवल एक ई-निविदा प्राप्त होने के कारण इसे खोला नहीं गया	कोई नहीं
	iii) छावनी निधि कर्मचारी क्वार्टरों का रख-रखाव		04	01	03
	iv) छावनी निधि कार्यालय भवन, भंडार एवं सार्वजानिक शौचालय एवं अन्य भवनों का रखरखाव		03	03	00

	v) पम्पिंग स्टेशन और फिल्ट्रेशन पर स्थित छावनी निधि भवनों का रख-रखाव		00	00	00
3.	छावनी निधि खुले ड्रेन / रिटेनिंग वॉल / नाला का रख-रखाव		03	03	00
4.	छावनी निधि भूमिगत ड्रेन का रख-रखाव		03	03	00
5.	छावनी निधि सड़कों का डब्ल्यू.बी.एम. सहित रख-रखाव		03	03	00
6.	छावनी निधि सड़कों का कंक्रीट सहित रख-रखाव		04	03	01
7.	छावनी निधि भवनों को व्हाइट वॉश / कलर वॉश / डिस्टेंपर / पेंटिंग करना		03	03	00
8	छावनी निधि सी.आई./जी.आई पानी की पाइपलाइन का रख-रखाव		03	03	00
9	सी.आई./जी.आई. फिटिंग उपलब्ध करना और आपूर्ति करना		03	03	00

अ.सं. 2(i) एवं (iii) में उल्लिखित कार्यों हेतु वैध ई-निविदाओं की वित्तीय बोली नहीं खोली गई क्योंकि तकनीकी बोली में मात्र एक निविदाकर्ता योग्य पाए गए | अ.सं. 2(ii) में उल्लिखित कार्य हेतु केवल 01 ई-निविदा प्राप्त की गई है इसलिए उक्त कार्य हेतु तकनीकी बोली भी नहीं खोली गई | अ.सं. 2(v) में उल्लिखित कार्य हेतु कोई भी ई-निविदा प्राप्त नहीं की गई |

इस कार्यालय के वित्तीय मूल्यांकन समिति द्वारा अ.सं. 1, 2(iv), 3 से 9 में उल्लिखित कार्यों के वैध ई-निविदाओं की वित्तीय बोली दिनांक 18.02.2019 को दोपहर 04.00 बजे खोली गई |

अ.सं. 1, 2(iv), 3 से 9 में उल्लिखित कार्यों के वैध ई-निविदाओं की तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

अ.सं.	कार्य का नाम	निविदाकर्ताओं का नाम	एम.ई.एस. एस.एस.आर 2010 अनुसार ऊपर या नीचे उद्धृत **%** दर	वर्ष 2018-19 हेतु एम.ई.एस. एस.एस.आर 2010 अनुसार ऊपर या नीचे उद्धृत **%** दर
1	छावनी निधि सड़कों का एस.डी.बी.सी. सहित रख-रखाव |	**1) मेसर्स डी.जी. चवन एवं को. नाशिक**	**11.11% ऊपर**	**7.74%** ऊपर
		2) मेसर्स एम.आर. महाना, ओझर	18% ऊपर	
		3) मेसर्स एम. एन. पेखाले इन्फ्रा. प्रा. लिम. नशिक रोड	18.62% ऊपर	
		4) मेसर्स बी.टी. कडलग कंस्ट्रक्शन प्रा. लिम. नाशिक	27% ऊपर	
		5) मेसर्स के.के. बिन्नर, नाशिक	27% ऊपर	
			मद दर (रु. में)	
	बी.बी.एम. आदि उपलब्ध करना और बिछाना | अ) 75 मी.मी. ब) 50 मी.मी.	1) **मेसर्स डी.जी. चवन एवं को. नाशिक**	अ) रु. 207 /- प्रति वर्ग मी. ब) रु. 200 /- प्रति वर्ग मी.	
		2) मेसर्स एम.आर. महाना, ओझर	अ) रु. 450 /- प्रति वर्ग मी. ब) रु. 350 /- प्रति वर्ग मी.	
		3) मेसर्स एम. एन. पेखाले इन्फ्रा. प्रा. लिम. नशिक रोड	अ) रु. 210 /- प्रति वर्ग मी. ब) रु. 173 /- प्रति वर्ग मी.	

		4) मेसर्स बी.टी. कडलग कंस्ट्रक्शन प्रा. लिम. नाशिक	अ) रु.200 /- प्रति वर्ग मी. ब) रु. 175 /- प्रति वर्ग मी.	
		5) मेसर्स के.के. बिन्नर, नाशिक	अ) रु. 275 /- प्रति वर्ग मी. ब) रु. 220 /- प्रति वर्ग मी.	
2	छावनी निधि कार्यालय भवन, भंडार एवं सार्वजानिक शौचालय एवं अन्य भवनों का रखरखाव |	**1. मेसर्स संतोष एस. शिंदे, ठानगांव**	**97 % ऊपर**	83.50% ऊपर
		2. मेसर्स रमेश एस. धाडीवाल, नाशिक रोड	99 % ऊपर	
		3. श्री अम्बादास जी. धोत्रे, भगुर	99.19 % ऊपर	
3	छावनी निधि खुले ड्रेन / रिटेनिंग वॉल / नाला का रख-रखाव |	**1. श्री हरपालसिंह भल्ला, लासलगांव**	**131.50 % ऊपर**	121% ऊपर
		2. मेसर्स रमेश एस. धाडीवाल, नाशिक रोड	133 % ऊपर	
		3. मेसर्स आर. के. कंस्ट्रक्शन, नाशिक	139.50 % ऊपर	
4	छावनी निधि भूमिगत ड्रेन का रख-रखाव |	**1. श्री अशोक बी.शिंदे, भगुर**	**98.99 % ऊपर**	60.90% ऊपर
		2. मेसर्स रमेश एस. धाडीवाल, नाशिक रोड	105 % ऊपर	
		3. मेसर्स ए.एस. सालुंखे कंस्ट्रक्शन, नाशिक	115 % ऊपर	
5	छावनी निधि सड़कों का डब्ल्यू.बी.एम. सहित रख-रखाव |	1. **मेसर्स एम-डी.ए.सी. इंजिनियर, अम्बरनाथ, थाणा**	**3.99 % ऊपर**	4.44% नीचे
		2.मेसर्स साईं समर्थ कंस्ट्रक्शन को. नाशिक	7.55 % ऊपर	
		3. मेसर्स के.के. बिन्नर, नाशिक	21.50 % ऊपर	

6	छावनी निधि सड़कों का कंक्रीट सहित रख-रखाव ।	**1. मेसर्स एम-डी.ए.सी. इंजिनियर, अम्बरनाथ, थाणा**	**6.99 % नीचे**	77.77% ऊपर (बयाना जमा राशि जब्त की गई)
		2. मेसर्स के.के. बिन्नर, नाशिक	35.50 % ऊपर	
		3. मेसर्स ए.एस. सालुंखे कंस्ट्रक्शन, नाशिक	121.99 % ऊपर	
7	छावनी निधि भवनों को व्हाइट वॉश / कलर वॉश / डिस्टेंपर / पेंटिंग करना ।	1. **मेसर्स ए.एस. सालुंखे कंस्ट्रक्शन, नाशिक**	**59.90 % ऊपर**	42.74 % ऊपर
		2. मेसर्स ए वन मजदुर सहकारी संस्था लिम., नाशिक	61 % ऊपर	
		3. श्री विकास आर. ज़गाडे, सिन्नर	85 % ऊपर	
8	छावनी निधि सी.आई./जी.आई पानी की पाइपलाइन का रख-रखाव ।	**1. मेसर्स रमेश एस. धाडीवाल, नाशिक रोड**	**99% ऊपर**	**78** % ऊपर
		2.मेसर्स सनराइज कंस्ट्रक्शन, नाशिक	102 % ऊपर	
		3.मेसर्स राजेंद्र बी शेल्के, सिन्नर	105 % ऊपर	
9	सी.आई./जी.आई. फिटिंग उपलब्ध करना और आपूर्ति करना ।	1. **मेसर्स प्रीतेश आर. कोर्डिया, नाशिक रोड**	मदानुसार विस्तृत तुलनात्मक विवरण पटल पर रखी गई है ।	
		2. मेसर्स रमेश सूरजमल धाडीवाल, नाशिक रोड		
		3 मेसर्स सनराइज कंस्ट्रक्शन, नाशिक		

विचार करना और निर्णय लेना ।

सम्बंधित कागजात पटल पर रखे गए है ।

32 **संकल्प:** परिषद को यह सूचित किया जाता है कि छावनी निधि सड़कों का कंक्रीट सहित रख-रखाव के सम्बन्ध में मेसर्स एम. डी.ए.सी. इंजिनियर्स द्वारा उद्धृत दर में संशोधन किया जाए और उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

1. मेसर्स एम. डी.ए.सी. इंजिनियर्स अम्बरनाथ, थाणा	"6.99%" नीचे के स्थान पर **"6.99%" ऊपर** के रूप में पढ़ा जाए

विभिन्न रख-रखाव कार्य हेतु उद्धृत न्यूनतम दर का अवलोकन किया गया | गैरिसन इंजिनियर, एम.ई.एस. ने भी इस मामले पर विचार किया और यह पाया कि उक्त दरें अधिक है और प्राप्त दर विश्लेषण को बातचीत द्वारा उपयुक्त रूप से कम किए जाने की जरूरत है |

यह निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को न्यूनतम दर हेतु बातचीत करनी चाहिए और लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता की घोषणा होने से पहले परिषद की एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए | उस परिषद की बैठक में अंतिम अनुमोदन हेतु बातचीत के बाद की दर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए | आगे यह निर्णय लिया गया था कि कार्यसूची में उल्लिखित अ.सं. 2(i), (ii), (iii) एवं (V) के कार्यों हेतु पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाए |

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित पूरक मदों पर भी विचार किया गया :-

33 आधार कार्ड के नामांकन हेतु कमरे की आवश्यकता |

संदर्भ: श्रीमती आशा चंद्रकांत गोडसे, निर्वाचित सदस्य, छावनी परिषद देवलाली से प्राप्त पत्र संख्या 1909 दिनांक 05.02.2019 |

श्रीमती आशा चंद्रकांत गोडसे, निर्वाचित सदस्य, छावनी परिषद देवलाली ने अपने संदर्भाधीन पत्र के माध्यम से ओक्ट्रोई नाका 06, लैम रोड, देवलाली के कमरे के आबंटन हेतु अनुरोध किया |

वर्तमान में, ओक्ट्रोई नाका 06, लैम रोड, देवलाली का कमरा ओक्ट्रोई समाप्त होने के बाद से खाली है और उक्त कमरे का उपयोग देवलाली छावनी की आम जनता के लिए आधार कार्ड के नामांकन हेतु किया जा सकता है | नियुक्त किए गए पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से आधार कार्ड के नामांकन का कार्य जिलाधिकारी कार्यालय, नाशिक के द्वारा आबंटित किया गया है |

सम्बंधित कागजात पटल पर रखे गए हैं |

33 **संकल्प:** विचार किया गया और चर्चा की गई |

देवलाली छावनी की आम जनता के लिए आधार कार्ड के नामांकन के विशिष्ट कार्य हेतु दो महीनों की अवधि के लिए छावनी परिषद संयुक्त प्राथमिक विद्यालय, गुरुद्वारा रोड, देवलाली में कमरे को आबंटित करने का निर्णय का लिए गया |
देवलाली छावनी की आम जनता के हित में उक्त कार्य के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाए|

34 **भवन आवेदनपत्र |**
शिगवे बहुला के रेवेन्यू सर्वे संख्या 102+103+104+105+106/2+106/3+107+120/3 भूखंड संख्या 68 पर निवासी भवन निर्माण हेतु श्री आशीष कुमार यादव एवं अन्य एक, द्वारा श्री सी.के. चंदनखेडे, 'केशव बंगलो' बी/एच हरजीत साईकल स्टोर, देवलाली कैंप द्वारा दिनांक 16.02.2019 को प्रस्तुत किए हुये नक्शा अनुसार भवन आवेदनपत्र पर विचार करना। विषयांकित भूमि निजी हैं तथा जिलाधिकारी नाशिक के प्रबंध में हैं। भूखंड का कुल क्षेत्र 7/12 उद्धरण अनुसार 242.61 वर्ग मीटर हैं तथा कुल निर्मित क्षेत्र **120 वर्ग मीटर** हैं |

सहायक अभियंता (आर/बी) ने पुष्टि किया हैं कि छा. प. सं. संख्या 06 दिनांक 27.01.2011 तथा छा. प. सं संख्या 12 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा परिषद ने यह निर्णय लिया हैं कि प्रस्तावित भवन निर्माण पीला क्षेत्र में आता हैं। आगे, प्रस्तावित भवन की एफ़.एस.आई, ऊँचाई, सीमांत क्षेत्र, जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ़, दक्षिण कमान, पुणे दिनांक 26.06.1984 और छावनी परिषद संकल्प के आदेशानुसार हैं और यह देवलाली छावनी के भवन उपविधियाँ की पुष्टि करता हैं। भूखंड क्षेत्र जिसपर प्रस्तावित भवन के लिए के आवेदन किया गया हैं उस पर अतीत में किसी भी भवन निर्माण कार्य के लिए एफ़एसआई की गणना नहीं की गई हैं।

संबन्धित दस्तावेजों एवं नक्शा सहित सहायक अभियंता की विस्तृत रिपोर्ट और अनुलग्नक के रूप में नक्शा पटल पर रखे गए हैं।

34 **संकल्प:-** स्वामित्व अधिकारों तथा उन नियमों और शर्तों के अधीन जिसका आवेदक निर्माण स्थल पर पालन करता हैं, के प्रति बिना पूर्वाग्रह नगरनिगम की दृष्टिकोण से छावनी अधिनियम 2006 के धारा 238 के अंतर्गत भवन आवेदनपत्र पर विचार किया गया तथा स्वीकृति के लिए सिफ़ारिश किया गया। प्रत्येक मामले में स्वीकृत नक्शे का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। धारा 238 के अधीन स्वीकृति जिस दिन से दिया गया हैं से लेकर दो साल तक के लिए उपलब्ध रहेगी। निर्माण के प्रारम्भ होने के तारीख की सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित रूप में दी जाए। कार्य प्रारम्भ होने के बाद, कार्य दो साल के भीतर पूर्ण होना चाहिए। आवश्यकतानुसार, धारा 245 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु समय बढ़ाने के लिए आवेदन कार्य प्रारम्भ से दो साल के भीतर तक किया जाना चाहिए ।

अनुमोदित भवन नक्शे में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा। भवन के पूरा होने पर आवेदक को उचित पूर्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही भवन पर अधिकार किया जा सकेगा। छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत मौजूदा उपनियम / संकल्प के अनुसार उचित नियम/कार्यपद्धति का पालन न होने पर जैसा लागू हो वैसा जुर्माना का वहन/भुगतान करना होगा ।

35 छावनी जनरल अस्पताल के छावनी निधि क्वार्टर का आबंटन |

छावनी परिषद ने छावनी जनरल अस्पताल के परिसर में 12 फ्लैट वाली एक भवन का निर्माण किया है | 12 फ्लैट में से 07 फ्लैट इस कार्यालय ने नीचे दिए गए व्यक्तियों को आबंटित किया है और शेष 05 फ्लैट अभी तक रिक्त है |

अ.सं.	नाम	पदनाम	पत्र संख्या	नए क्वार्टर संख्या
1.	श्रीमती पूनम आर पारचा a	आया	207/रेव/ई-3/671 दिनांक 5.2.2019	01
2.	श्री दिनेश विठोबा कामबलेकर	वार्ड बॉय	207/ रेव/ई -3/668 दिनांक 5.2.2019	02
3.	श्री रोहिदास वाघमारे	मरहम-पट्टीकर (ड्रेसर)	207/ रेव/ई -3/669 दिनांक 5.2.2019	03
4.	श्री राजा आलम हुसैन	वार्ड बॉय	207/ रेव/ई -3/670 दिनांक 5.2.2019	04
5.	श्रीमती प्रमिला कालू मोरे	आया	207/ रेव/ई -3/672 दिनांक 5.2.2019	07
6.	श्री रामू भास्कर पगारे	वार्ड बॉय	207/ रेव/ई -3/673 दिनांक 5.2.2019	09
7.	श्रीमती नसीम सुभान खान	आया	207/ रेव/ई -3/666 दिनांक 5.2.2019	11

श्री अक्षय ओमप्रकाश दुल्गज- वार्ड बॉय और श्री भाहिरू गी. बहोर- वार्ड बॉय से आवेदन पत्र प्राप्त किए गए है जिसमे यह कहा गया है कि वे नवनिर्मित भवन के क्वार्टर लेने के इच्छुक नहीं है क्योंकि श्री अक्षय ओमप्रकाश दुल्गज- वार्ड बॉय पहले से ही छावनी निधि क्वार्टर, चॉल संख्या 06 में और श्री भाहिरू गी. बहोर- वार्ड बॉय दाढे गांव, वडनेर में रह रहे हैं |

इस संबंध में, इस कार्यालय के पत्र संख्या 207/रेव/ई-3/787 दिनांक 18.2.2019 के द्वारा एक परिपत्र कर्मचारियों को परिचालित किया गया जो छावनी जनरल अस्पताल के छावनी निधि

क्वार्टर (नवनिर्मित भवन) के आबंटन के इच्छुक है | उपरोक्त के जवाब में, श्री आकाश सुरेश भालेराव-माली, श्री प्रवीण नामदेव गायकवाड- वाल्वमेन, श्री विजय शर्मा- वाल्वमेन, और श्रीमती माया धर्मपाल सोडे- सफाईकर्मचारी, जो छावनी जनरल अस्पताल परिसर के पुराने क्वार्टर में रहते है, का आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ |

कर्मचारियों / पेंशनरों से क्वार्टर और अतिरिक्त क्वार्टर आबंटन करने हेतु निम्नलिखित आवेदन प्राप्त किए गए है , जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

अ.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	आवेदन दिनांक	अनुरोध	वर्तमान में आबंटित किए गए क्वार्टर
1.	श्रीमती कमला वसंत	स्वच्छता निरीक्षक	3.03.2018	अतिरिक्त क्वार्टर	गुरुद्वारा रोड
2.	श्री मुस्ताक हुसैन सैय्यद	सफाई कर्मचारी	6.03.2018	अतिरिक्त क्वार्टर	सन्डे मार्केट के नजदीक
3.	श्रीमती सत्यभामा काशीनाथ कास्बे	सफाई कर्मचारी	15.10.2018	अतिरिक्त क्वार्टर	सन्डे मार्केट के नजदीक
4.	श्रीमती भार्ताबाई श्रवण कंगारे	पेंशनर	3.12.2018	-	कोई क्वार्टर आबंटित नहीं
5.	श्री सुरेश पिराजी गायकवाड	पेंशनर	5.10.2018	क्वार्टर अभी तक उनके कब्जे में है	चॉल संख्या 06

उपरोक्त व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन और कर अधीक्षक की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है |

विचार करना और निर्णय लेना |
सम्बंधित फाइल पटल पर रखा गया है |

35 **संकल्प:** विचार किया गया और परिषद ने नोट किया कि नवनिर्मित 12 फ्लैट में से 07 फ्लैट पहले ही आबंटित किया गया है और शेष 05 फ्लैट अभी तक रिक्त है |

परिषद ने नवनिर्मित भवन में 04 व्यक्तियों को क्वार्टर आबंटित करने का निर्णय लिया, जिनके नाम श्री आकाश सुरेश भालेराव-माली, श्री प्रवीण नामदेव गायकवाड- वाल्वमेन, श्री विजय शर्मा- वाल्वमेन, और श्रीमती माया धर्मपाल सोडे- सफाईकर्मचारी है जिनसे आवेदन प्राप्त किए गए है |

बैठक समाप्त होने से पहले, प्रस्तावित सम्पति कर वृद्धि को वापस लेने के संबंध में श्री सचिन सुरेश ठाकरे- निर्वाचित सदस्य से पत्र दिनांक 16.02.2019 और सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा

बैठक समाप्त होने से पहले, प्रस्तावित सम्पति कर वृद्धि को वापस लेने के संबंध में श्री सचिन **सुरेश** ठाकरे- निर्वाचित सदस्य से पत्र दिनांक 16.02.2019 और सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 22.02.2019 को अध्यक्ष महोदय के अनुमति से परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मामले पर स्पष्टीकरण दिया और निर्वाचित सदस्यों की मांग पर ध्यान देने का आश्वासन दिया |

हस्ताक्षरित
(अजय कुमार, भा.र.स.से.)
सदस्य-सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
छावनी परिषद, देवलाली
दिनांक 22 फ़रवरी , 2019

हस्ताक्षरित
(ब्रिगे. पी. रमेश, वि.से.प.)
अध्यक्ष,
छावनी परिषद,
देवलाली
दिनांक 22 फ़रवरी, 2019

सत्य प्रति

प्रशासनिक अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी
छावनी परिषद, देवलाली
(यू.व्ही गोरवाडकर)